भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5327

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना

5327. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा तमिलनाडु में टैंक आधुनिकीकरण योजना सहित सरकार द्वारा कोई अन्य सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) बांध पुनरूद्धार और सुधार परियोज (डीआरआईपी) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना, अप्रैल, 2012 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रणाली व्यापी प्रबंधन पद्धति सहित सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ चयनित बांधों की सुरक्षा और प्रचालन निष्पादन में सुधार करना है। इसकी संशोधित परियोजना लागत 3466 करोड़ रूपए है और इसे जून, 2020 तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित किया गया है। डीआरआईपी के तहत तमिलनाडु में दो कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् तमिलनाडु जल संसाधन विभाग (टीएनडब्ल्यूआरडी) और तमिलनाडु जेनेरेशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन (टीएनजीईडीसीओ) हैं। पुनरूद्धार हेतु डीआरआईपी पोर्टफोलियों में टीएनडब्ल्यूआरडी के 69 बांध है, जिनकी संशोधित लागत 543 करोड़ रूपए है पुनरूद्धार हेतु डीआरआईपी पोर्टफोलियों में टीएनजीईडीसीओ के 20 बांध है, जिनकी संशोधित लागत 260 करोड़ रूपए है।

(ख) से (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और अनुरक्षण अपनी आवश्कयता और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर) आदि के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर) स्कीम का लक्ष्य जल निकायों का व्यापक सुधार और पुनरूद्धार करना , जिससे टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि और कम हुई सिंचाई क्षमता का पुनरूद्धार, भूमि जल पुनर्भरण, पेयजल की बढ़ी हुई उपलब्धता, कृषि/बागवानी उत्पादकता में सुधार आदि हो सके। जल निकायों की आरआर स्कीम के तहत, दिशा-निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 2 से 10 हेक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में 5.0 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र में फैले इसमें जल निकायों को शामिल करने पर विचार किया जाता है।

तमिलनाडु में, 12वीं योजना से, जल निकायों की आरआआर स्कीम के तहत 77.75 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत सहित 153 स्कीमें चल रही है। इनमें से, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 104 जल निकायों का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च, 2019 तक राज्य को 16.25 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित पीएमकेएसवाई के हर बूंद से अधिक फसल घटक के केंद्र में मुख्यत: व्यवस्थित/सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से फार्म स्तर पर जल उपयोग दक्षता दाखिल करना है। विगत चार वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के हर बूंद से अधिक फसल घटक के तहत शामिल क्षेत्र और तमिलनाडु को जारी निधि का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	**जारी (करोड़ रूपए)**	**सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टेयर)** (राज्य द्वारा दी गई सूचना)
2015-16	129.78	32288
2016-17	143.50	44778
2017-18	369.55	105695
2018-19	355.00	172445

****